

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
5318

जयपुर, दिनांक: 28/8/17

क्रमांक: एफ1 (36)परि/स्था./92/

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम, 59) की धारा 68 की उप-धारा (1) एवं (2) अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (38) परि/स्था/92/14718-32 दिनांक 27.07.2016 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार श्री महेन्द्र कुमार खींची, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव (मुख्यालय) को एतद् द्वारा जयपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, दौसा, सीकर, चित्तौड़गढ़, पाली एवं भरतपुर क्षेत्रों के लिए सभी प्रकार के परिवहन यानों (मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अंतर्गत टयूरिस्ट परमिट को छोड़कर) के परमिट हेतु सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(राजेश यादव)

परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 28/8/17

क्रमांक: एफ1 (36)परि/स्था./92/ 5315-31

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. निजी सहायक, सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
8. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार, लेखा परीक्षा-II, राजस्थान, जयपुर।
10. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
11. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
12. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
13. समस्त प्रादेशिक/अति.प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
14. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान।
15. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
16. रक्षित पत्रावली।

(राजेश यादव)

परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव